भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.2081**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबड़ किसानों को सहायता

2081. श्री एम.के.राघवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के रबड़ किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या उपाय किए गए हैं:
(ख) क्या सरकार ने यह देखा है कि आयातित रबड़ की कीमत भारत के वास्तविक रबड़ उत्पादकों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही है और यदि हां, तो रबड़ किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की रबड़ के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 300/- रूपये करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत सरकार, रबड़ बोर्ड के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के विकास के लिए "प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत् और समावेशी विकास" स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत, रबड़ बोर्ड उत्पादकों को नए रोपण और (जरा-जीर्ण पौधों के) पुनर्रोपण के लिए राजकोषीय सहायता प्रदान करता है। रबड़ बोर्ड गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री भी प्रदान करता है,रबड़ उत्पादक समितियों (आरपीएस) को बढ़ावा देता है, समूह प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करता है, रबड़ के पेड़ों के दोहन और क्षेत्र लेटेक्स के प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, दोहन के दिनों की संख्या बढ़ाने के लिए वर्षा रक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है और रबड़ बागानों में रोगों की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है।
(ख) प्राकृतिक रबड़ की कीमत खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ कीमतें भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। सरकार ने घरेलू कीमतों पर रबड़ की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव को विनियमित करने के उद्देश्य से शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क में "20% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" से "25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" की बाध्य दर 30.4.2015 से बढ़ा दी है। सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को जनवरी 2015 में 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया। प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाह को चेन्नई और न्हावा शेवा के बंदरगाहों तक जनवरी 2016 में ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा,केंद्रीय बजट 2023-24 में प्राकृतिक रबड़ की तरह ही मिश्रित रबड़ पर भी सीमा शुल्क की दर 10% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
(ग) एवं (घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****